भारतीय झंडा संहिता

NATIONAL FLAG CODE

भारतीय झंडा संहिता

भारत का राष्ट्रीय झंडा, भारत के लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं का प्रतिरूप है। यह हमारे राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है। पिछले पांच दशकों में अनेक लोगों और सशस्त्र सैनिकों ने इस तिरंगे को पूर्ण गौरव के साथ फहराते रहने के लिए सहजता पूर्वक अपने जीवन का बलिदान दिया है।

राष्ट्रीय झंडे के रंगों और उसके मध्य मे चक्र के महत्व का यथेष्ट वर्णन डा० राधाकृष्णन द्वारा संविधान सभा में किया गया था। इस संविधान सभा ने सर्वसम्मति से राष्ट्रीय झंडे को स्वीकार किया था। डा० राधाकृष्णन ने स्पष्ट किया कि ''भगवा या केसरिया रंग त्याग या निःस्वार्थ भावना का प्रतीक है। हमारे नेतागणों को भौतिक सुखों से विरक्त तथा अपने कार्य के प्रति समर्पित होना चाहिए। झंडे के मध्य में सफेद रंग हमें सच्चाई के पथ पर चलने और अच्छे आचरण की प्रेरणा देता है। हरा रंग मिट्टी और वनस्पतियों के साथ हमारे संबंधों को उजागर करता है, जिन पर सभी प्राणियों का जीवन आश्रित है। सफेद रंग के मध्य में अशोक चक्र धर्म के राज का प्रतीक है। इस झंडे तले शासन करने वाले लोगों को सत्य, धर्म या नैतिकता के सिद्धांतो का पालन करना चाहिए। पुनश्च, चक्र प्रगति का प्रतीक है, जड़ता प्राणहीनता का प्रतीक है। चलना ही जिंदगी है। भारत को परिवर्तन की अनदेखी नहीं करनी है, अपितु आगे ही बढ़ना है। चक्र शान्तिपूर्ण परिवर्तन की गतिशीलता का प्रतीक है।''

सब के मन में राष्ट्रीय झंडे के लिए प्रेम, आदर और निष्ठा है। लेकिन प्रायः देखने में आया है कि राष्ट्रीय झंडे को फहराने के लिए जो नियम, रिवाज और औपचारिकाताएं हैं, उसकी जानकारी न तो आम जनता को है और न ही सरकारी संगठनों और एजेंसियों को। सरकार द्वारा समय–समय पर जारी असांविधिक निर्देशों, संप्रतीक और नाम (अनुचित प्रयोग का निवारण) अधिनियम, 1950 (1950 का सं. 12) तथा राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971 (1971 का 69) के उपबंधों के तहत राष्ट्रीय झंडे का प्रदर्शन नियंत्रित होता है। सभी के मार्गदर्शन और हित के लिए भारतीय झंडा संहिता, 2002 में सभी नियमों, रिवाज़ों, औपचारिकताओं और निर्देशों को एक साथ लाने का प्रयास किया गया है।

सुविधा के लिए भारतीय झंडा संहिता, 2002 को तीन भागों में बांटा गया है। संहिता के भाग 1 में राष्ट्रीय झंडे के बारे में सामान्य विवरण दिया गया है। आम जनता, निजी संगठनों और शैक्षणिक संस्थानों आदि द्वारा राष्ट्रीय झंडा फहराए जाने के बारे में संहिता के भाग 2 में विवरण दिया गया है। केन्द्र और राज्य सरकारों तथा उनके संगठनों व एजेंसियों द्वारा राष्ट्रीय झंडा फहराए जाने का विवरण संहिता के भाग 3 में दिया गया है।

''झंडा संहिता–भारत'' के स्थान पर ''भारतीय झंडा संहिता, 2002'' को 26 जनवरी, 2002 से लागू किया गया है।

भाग–I

सामान्य

1.1 राष्ट्रीय झंडे पर तीन अलग–अलग रंगों की पट्टियां होंगी, जो समान चौड़ाई वाली तीन आयताकार पट्टियां होंगी। सबसे ऊपर भारतीय केसरी रंग की पट्टी होगी और सबसे नीचे भारतीय हरे रंग की पट्टी होगी। बीच की पट्टी सफेद रंग की होगी, जिसके बीचों बीच बराबर की दूरी पर नेवी ब्लू रंग में 24 धारियों वाला अशोक चक्र बना होगा। बेहतर होगा, यदि अशोक चक्र स्क्रीन से प्रिंट किया हुआ या अन्यथा छपा हुआ या स्टेंसिल किया हुआ या उचित रूप से कढ़ाई किया हुआ हो, जो सफेद पट्टी के बीच में झंडे के दोनों ओर स्पष्ट दिखाई देता हो।

1.2 भारत का राष्ट्रीय झंडा हाथ से काते गए और हाथ से बुने गए ऊनी/सूती/सिल्क खादी के कपड़े से बनाया गया हो।

1.3 राष्ट्रीय झंडे का आकार आयताकार होगा। झंडे की लंबाई और ऊंचाई (चौड़ाई) का अनुपात 3:2 होगा।

FLAG CODE OF INDIA

The Indian National Flag represents the hopes and aspirations of the people of India. It is the symbol of our national pride. Over the last five decades, several people including members of armed forces have ungrudgingly laid down their lives to keep the tricolour flying in its full glory.

There is universal affection and respect for, and loyalty to, the National Flag. Yet, a perceptible lack of awareness is often noticed, not only amongst people but also in the organisations/agencies of the government, in regard to laws, practices and conventions that apply to the display of the National Flag. Apart from non-statutory instructions issued by the Government from time to time, display of the National Flag is governed by the provisions of the Emblems and Names (Prevention of Improper Use) Act, 1950 (No. 12 of 1950) and the Prevention of Insults to National Honour Act, 1971 (No. 69 of 1971). Flag Code of India, 2002 is an attempt to bring together all such laws, conventions, practices and instructions for the guidance and benefit of all concerned.

For the sake of convenience, Flag Code of India, 2002, has been divided into three parts. Part I of the Code contains general description of the National Flag. Part II of the Code is devoted to the display of the National Flag by members of public, private organizations, educational institutions, etc. Part III of the Code relates to display of the National Flag by Central and State government and their organisations and agencies.

Flag Code of India, 2002, takes effect from January 26, 2002 and supersedes the 'Flag Code - India' as it existed.

PART-I

GENERAL

1.1 The National Flag shall be a tri-colour panel made up of three rectangular panels or sub-panels of equal widths. The colour of the top panel shall be India saffron (Kesari) and that of the bottom panel shall be India green. The middle panel shall be white, bearing at its centre the design of Ashoka Chakra in navy blue colour with 24 equally spaced spokes. The Ashoka Chakra shall preferably be screen printed or otherwise printed or stenciled or suitably embroidered and shall be completely visible on both sides of the Flag in the centre of the white panel.

1.2 The National Flag of India shall be made of hand spun and hand woven wool/cotton/ silk khadi bunting.

1.3 The National Flag shall be rectangular in shape. The ratio of the length to the height (width) of the Flag shall be 3:2.

1.4 The standard sizes of the National Flag shall be as follows:-

Flag Size No.	Dimensions in mm
1	6300 x 4200
2	3600 x 2400
3	2700 x1800
4	1800 x 1200
5	1350 x 900
6	900 x 600
7	450 x 300
8	225 x 150
9	150 x 100

1.4 राष्ट्रीय झंडे के मानक आकार निम्नलिखित होंगे :–

झंडे का आकार वर्ग	मिलीमीटरों में माप
1	6300 x 4200
2	3600 x 2400
3	2700 x 1800
4	1800 x 1200
5	1350 x 900
6	900 x 600
7	450 x 300
8	225 x 150
9	150 x 100

1.5 फहराने के लिए समुचित आकार के झंडे का चुनाव किया जाए। 450x300 मिलीमीटर आकार के झंडे अतिगणमान्य व्यक्तियों को ले जाने वाले हवाई जहाजों के लिए 225x150 मिलीमीटर आकार के झंडे मोटर कारों और 150x100 मिलीमीटर आकार के झंडे मेजों के लिए हैं।

भाग–II

आम जनता, गैर–सरकारी संगठनों और शैक्षणिक संस्थाओं आदि के द्वारा राष्ट्रीय झंडे का फहराया जाना/प्रदर्शन/प्रयोग

धारा–I

2.1 आम जनता, गैर–सरकारी संगठनों और शैक्षणिक संस्थाओं आदि के द्वारा राष्ट्रीय झंडे के प्रदर्शन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा, सिवाय संप्रतीक और नाम (अनुचित प्रयोग का निवारण) अधिनियम, 1950* और राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971 तथा इस विषय पर**

*** संप्रतीक और नाम (अनुचित प्रयोग का निवारण) अधिनियम, 1950**

धारा 2 : इस अधिनियम में, जब तक कि संदभं में अन्यथा अपेक्षित न होः–

(क) 'संप्रतीक का अर्थ अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी चिह्न, मोहर, झंडा, तमगा, कोट–आफ–आर्म्स या चित्रात्मक स्वरूप से है;

धारा 3 : इस समय लागू किसी भी कानून में, कोई बात होते हुए भी कोई भी व्यक्ति, केन्द्र सरकार या सरकार के ऐसे अधिकारी, जिसे केन्द्र सरकार की ओर से प्राधिकृत किया जाए, की पूर्व अनुमति के बिना केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा–निर्धारित ऐसे मामलों और ऐसी परिस्थितियों के सिवाय, किसी व्यापार, कारोबार, आजीविका का व्यवसाय के प्रयोजन के लिए, किसी पेटेंट के हक में या डिजाइन के किसी ट्रेड मार्क में, अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी नाम और चिंह्न या उससे मिलती–जुलती किसी नकल के प्रयोजनों के लिए प्रयोग करना जारी नहीं रखेगा।

नोट : इस अधिनियम की अनुसूची में भारतीय राष्ट्रीय झंडे को एक संप्रतीक के रूप निर्धारित किया गया है।

****राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971**

धारा 2 : कोई भी व्यक्ति जो किसी सार्वजनिक स्थान पर या किसी भी ऐसे स्थान पर जो सार्वजनिक रूप से दृष्टिगोचर हो, भारतीय राष्ट्रीय झंडे या भारत के संविधान या उसके किसी भाग को जलाता है, विकृत करता है, विरूपित करता है, दूषित करता है, कुरूपिता करता है, कुचलता है या अन्यथा (मौखिक या लिखित शब्दों में अथवा कृत्यों द्वारा) अपमान करता है, उसे 3 वर्ष तक के कारावास से, या जुर्माने से, या दोनों से दंडित किया जाएगा।

स्पष्टीकरण 1– भारत के संविधान में संशोधन करने या विधिसम्मत तरीके से भारतीय राष्ट्रीय झंडे में परिवर्तन करने की दृष्टि से सरकार के किसी उपाय की आलोचना या अस्वीकृति व्यक्त करते हुए की गई कोई टिप्पणी इस धारा के अंतर्गत अपराध नहीं बनती।

स्पष्टीकरण 2– 'भारतीय राष्ट्रीय झंडे' की अभिव्यक्ति में कोई भी तस्वीर, पेंटिंग, ड्राईंग या फोटोग्राफ या भारतीय राष्ट्रीय झंडे या उसके किसी भाग या भागों का अन्य स्पष्ट चित्रण, जो किसी पदार्थ से बना हो या पदार्थ पर दर्शाया गया हो, शामिल है।

स्पष्टीकरण 3– 'सार्वजनिक स्थान' की अभिव्यक्ति के अर्थ में ऐसा कोई स्थान, जो जनता द्वारा उपयोग के लिए हो अथवा जहां जनता की पहुंच हो और इसमें कोई भी सार्वजनिक वाहन शामिल है।

1.5 An appropriate size should be chosen for display. The flags of 450x300 mm size are intended for aircrafts on VVIP flights, 225x150 mm size for motor-cars and 150x100 mm size for table flags.

PART-II

HOISTING/DISPLAY/USE OF NATIONAL FLAG BY MEMBERS OF PUBLIC, PRIVATE ORGANISATIONS, EDUCATIONAL INSTITUTIONS, ETC.

SECTION I

2.1 **There shall be no restriction on the display of the National Flag by members of general public, private organizations, educational institutions, etc.,** except to the extent provided in the Emblems and Names (Prevention of Improper Use) Act, 1950* and the Prevention of Insults to National Honour Act, 1971** and any other law enacted on the subject. Keeping in view the provisions of the aforementioned Acts-

(i) the Flag shall not be used for commercial purposes in violation of the Emblem and Names (Prevention of Improper Use) Act, 1950;

(ii) the Flag shall not be dipped in salute to any person or thing;

(iii) the Flag shall not be flown at half-mast except on occasions on which the Flag is flown at half-mast on public buildings in accordance with the instructions issued by the Government.

(iv) the Flag shall not be used as a drapery in any form whatsoever, including private funerals;

(v) the Flag shall not be used as a portion of costume or uniform of any description nor shall it be embroidered or printed upon cushions, handkerchiefs, napkins or any dress material;

***The Emblems and Names (Prevention of Improper Use) Act, 1950.**

Section 2 : In this Act, unless the context otherwise requires:-
(a) "emblem" means any emblem, seal, flag, insignia, coat-of-arms or pictorial representation specified in the Schedule.

Section 3 : Notwithstanding anything contained in any law for the time being in force, no person shall, except in such cases and under such conditions as may be prescribed by the Central Government, use, or continue to use, for the purpose of any trade, business, calling or profession, or in the title of any patent, or in any trade mark of design, any name or emblem specified in the Schedule or any colourable imitation thereof without the previous permission of the Central Government or of such officer of Government as may be authorised in this behalf by the Central Government.

NOTE : The Indian National Flag has been specified as an emblem in the Schedule to the Act.

****The Prevention of Insults to National Honour Act, 1971**

Section 2 : Whoever in any public place or in any other place within public view burns, mutilates, defaces, defiles, disfigures, destroys, tramples upon or otherwise brings into contempt (whether by words, either spoken or written, or by acts) the Indian National Flag..... or any part thereof, shall be punished with imprisonment for a term which may extend to three years, or with fine, or with both.
Explanation 1. Comments expressing disapprobation or criticism of ..... the Indian National Flag or of any measures of the Government with a view to obtain.....or an alteration of the Indian National Flag by lawful means do not constitute an offence under this section.
Explanation 2. - The expression "Indian National Flag" includes any picture, painting, drawing or photograph, or other visible representation of the Indian National Flag, or of any part or parts there of, made of any substance or represented on any substance.
Explanation 3. - The expression "public place" means any place intended for use by or accessible to, the public and includes any public conveyance.

बनाए गए किसी अन्य कानून में बताए गए प्रतिबंध के उपर्युक्त अधिनियमों में की गई व्यवस्था के अनुसार निम्नलिखित बातों का ध्यान में रखा जाएगा :–

(i) झंडे का प्रयोग व्यावसायिक प्रयोजनों के लिए किया जाएगा अन्यथा संप्रतीक और नाम (अनुचित प्रयोग का निवारण) अधिनियम, 1950 का उल्लंघन होगाः

(ii) किसी व्यक्ति या वस्तु को सलामी देने के लिए झंडे को झुकाया नहीं जाएगा;

(iii) झंडे को आधा झुका कर नहीं फहराया जाएगा, सिवाय उन अवसरों के, जब सरकारी भवनों पर झंडे को आधा झुका फहराने के आदेश जारी किए गए हों;

(iv) झंडे को किसी भी रूप में लपेटने, जिसमें व्यक्तिगत शवयात्रा शामिल है, के काम में नहीं लाया जाएगा;

(v) किसी प्रकार की पोशाक या वर्दी के भाग में झंडे का प्रयोग नहीं किया जाएगा और न ही तकियों, रूमालों, नेपकिनों अथवा किसी ड्रेस सामग्री पर इसे काढ़ा अथवा मुद्रित किया जाएगा;

(vi) झंडे पर किसी प्रकार के अक्षर नहीं लिखे जाएंगे;

(vii) झंडे को किसी वस्तु को प्राप्त करने, देने, पकड़ने अथवा ले जाने पात्र के रूप में प्रयोग नहीं किया जाएगा;

लेकिन विशेष अवसरों और राष्ट्रीय दिवसों पर जैसे गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस समारोह के अंग के रूप में झंडे को फहराए जाने से पूर्व उसमें फूलों की पंखुड़ियां रखने में कोई आपत्ति नहीं होगी;

(viii) किसी प्रतिमा के अनावरण के अवसर पर झंडे को सम्मान के साथ और पृथक रूप से प्रदर्शित किया जाएगा और इसका प्रयोग अथवा स्मारक को ढकने के लिए नहीं किया जाएगा;

(ix) झंडे का प्रयोग न तो वक्ता की मेज को ढकने और न ही वक्ता के मंच को सजाने के लिए किया जाएगा;

(x) झंडे को जानबूझकर जमीन अथवा फर्श को छूने अथवा पानी में घसीटने नहीं दिया जाएगा;

(xi) झंडे को वाहन, रेलगाड़ी, नाव अथवा वायुयान की टोपदार छत, ऊपर बगल अथवा पीछे से ढकने के काम में नहीं लाया जाएगा;

(xii) झंडे का प्रयोग किसी भवन में परदा लगाने के लिए नहीं किया जाएगा और

(xiii) झंडे को जानबूझकर ''केसरिया'' रंग को नीचे प्रदर्शित करके नहीं फहराया जाएगा।

2.2 जनता का कोई भी व्यक्ति, कोई भी गैर–सरकारी संगठन अथवा कोई भी शिक्षा संस्था राष्ट्रीय झंडे को सभी दिनों और अवसरों, औपचारिकताओं या अन्य अवसरों पर फहरा/प्रदर्शित कर सकता है। राष्ट्रीय झंडे की मर्यादा रखने और उसे सम्मान प्रदान करने के लिए निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखा जाए :–

(i) जब कभी राष्ट्रीय झंडे फहराया जाए तो उसकी स्थिति सम्मानजनक और पृथक होनी चाहिए;

(ii) फटा हुआ या मैला–कुचैला झंडा प्रदर्शित नहीं किया जाए;

(iii) झंडे को किसी अन्य झंडे अथवा झंडों के साथ एक ही ध्वज–दंड से नहीं फहराया जाए;

(iv) संहिता के भाग–III की धारा IX में की गई व्यवस्था के सिवाय झंडे को किसी वाहन पर नहीं फहराया जाएगा;

(v) यदि झंडे का प्रदर्शन सभी मंच पर किया जाता है, तो उसे इस प्रकार फहराया जाना चाहिए कि जब वक्ता का मुंह श्रोताओं की ओर हो तो झंडा उनके दाहिनी ओर रहे अथवा झंडे को वक्ता के पीछे दीवार के साथ और उससे ऊपर लेटी हुई स्थिति मे प्रदर्शित किया जाए;

(vi) जब झंडे का प्रदर्शन किसी दीवार के सहारे, लेटी हुई और समतल स्थिति में किया जाता है तो केसरिया भाग सबसे ऊपर रहना चाहिए और जब वह लम्बाई में फहराया जाए तो केसरी भाग झंडे के हिसाब से दाईं ओर होगा (अर्थात् झंडे को सामने से देखने वाले व्यक्ति के बाईं ओर);

(vii) जहां तक सम्भव हो झंडे का आकार इस संहिता के भाग–I में निर्धारित किए गए मानकों के अनुरूप होना चाहिए;

(viii) किसी दूसरे झंडे या पताका को राष्ट्रीय झंडे से ऊचा या उससे ऊपर या उसके बराबर में नहीं लगाया जाए और न ही पुष्प, माला, प्रतीक या अन्य कोई वस्तु उसके ध्वज–दंड के ऊपर रखी जाए;

(vi) lettering of any kind shall not be put upon the Flag;

(vii) the Flag shall not be used as a receptacle for receiving, delivering, holding or carrying anything;

provided that there shall be no objection to keeping flower petals inside the Flag before it is unfurled as part of celebrations on special occasions and on National Days like the Republic Day and the Independence Day;

(viii) when used on occasions like unveiling of a statue, the Flag shall be displayed distinctly and separately and it shall not be used as a covering for the statue or monument;

(ix) the Flag shall not be used to cover a speaker's desk nor shall it be draped over a speaker's platform;

(x) the Flag shall not be intentionally allowed to touch the ground or the floor or trail in water.

(xi) the Flag shall not be draped over the hood, top, sides or back of a vehicle, train boat or an aircraft;

(xii) the Flag shall not be used as a covering for a building; and

(xiii) the Flag shall not be intentionally displayed with the "saffron" down.

2.2 A member of public, a private organization or an educational institution may hoist/ display the National Flag on all days and occasions, ceremonial or otherwise. Consistent with the dignity and honour of the National Flag -

(i) whenever the National Flag is displayed, it should occupy the position of honour and should be distinctly placed;

(ii) a damaged or dishevelled Flag should not be displayed;

(iii) the Flag should not be flown from a single masthead simultaneously with any other flag or flags;

(iv) the Flag should not be flown on any vehicle except in accordance with the provisions contained in Section IX of Part III of this Code;

(v) when the Flag is displayed on a speaker's platform, it should be flown on the speaker's right as he faces the audience or flat against the wall, above and behind the speaker;

(vi) when the Flag is displayed flat and horizontal on a wall, the saffron band should be upper most and when displayed vertically, the saffron band shall be on the right with reference to the Flag (i.e. left to the person facing the Flag);

(vii) to the extent possible, the Flag should conform to the specifications prescribed in Part-I of this Code.

(viii) no other Flag or bunting should be placed higher than or above or side by side with the National Flag; nor should any object including flowers or garlands or emblem be placed on or above the Flag-mast from which the Flag is flown;

(ix) the Flag should not be used as a festoon, rosette or bunting or in any other manner for decoration;

(x) the Flag made of paper may be waved by public on occasions of important national, cultural and sport events. However, such paper Flags should not be discarded or thrown on the ground after the event. As far as possible it should be disposed of in private consistent with the dignity of the Flag;

(ix) फूलों का गुच्छा या पताका या बन्दनवार बनाने या किसी अन्य प्रकार की सजावट के लिए झंडे का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा;

(x) जनता द्वारा कागज के बने झंडों को महत्वपूर्ण राष्ट्रीय, सांस्कृतिक और खेलकूद के अवसरों पर हाथ में लेकर हिलाया जा सकता है। परन्तु ऐसे कागज के झंडों को समारोह पूरा होने के पश्चात् न तो विकृत किया जाएगा और न ही जमीन पर फेंका जाएगा। जहां तक सम्भव हो, ऐसे झंडों का निपटान उनकी मर्यादा के अनुरूप एकान्त में किया जाए;

(xi) जहां झंडे का प्रदर्शन खुले में किया जाता है, वहां मौसम को ध्यान में रखे बिना उसे सूर्योदय से सूर्यास्त तक फहराया जाना चाहिए;

(xii) झंडे का प्रदर्शन इस प्रकार बांधकर न किया जाए, जिससे कि वह फट जाए; और

(xiii) जब झंडा फट जाए या मैला हो जाए तो उसे एकान्त में पूरा नष्ट कर दिया जाए। बेहतर होगा यदि उसे जलाकर या उसकी मर्यादा के अनुकूल किसी अन्य तरीके से नष्ट कर दिया जाए।

धारा II

2.3 शौक्षिक संस्थाओं (स्कूल, कालेज, खेल शिविर, स्काऊट शिविर आदि) में राष्ट्रीय झंडा फहराया जाए, ताकि मन से झंडे का सम्मान करने के लिए प्रेरणा दी जा सके। मार्गदर्शन के लिए हिदायतें नीचे दी गई हैं :–

(i) स्कूल के विद्यार्थी इकट्ठे होकर एक खुला वर्गाकार बनायेंगे। इस वर्ग में तीन तरफ विद्यार्थी खड़े होंगे और चौथी तरफ बीच में झंडा होगा। प्रधानाध्यापक, मुख्य छात्र और झंडे को फहराने वाला व्यक्ति (यदि वह प्रधानाध्यापक के अलावा कोई दूसरा हो) झंडे से तीन कदम पीछे खड़े होंगे।

(ii) छात्र कक्षाक्रम से दस–दस के दल में (अथवा कुल संख्या के अनुसार किसी दूसरे हिसाब से) खड़े होंगे और वे एक दल के पीछे दूसरे दल के क्रम में रहेंगे। कक्षा का मुख्य छात्र अपनी कक्षा की पहली पंक्ति की दाईं ओर खड़ा होगा और कक्षा अध्यापक अपनी कक्षा की अंतिम पंक्ति से तीन कदम पीछे बीच में खड़ा होगा। कक्षाएं वर्गाकार में इस प्रकार खड़ी होंगी कि सबसे बड़ी कक्षा सबसे दाईं ओर रहेगी और उसके बाद वरिष्ठता क्रम से अन्य कक्षाएं खड़ी होंगी।

(iii) हर पंक्ति के बीच कम से कम एक कदम (30इंच) का फासला होना चाहिए और हर कक्षा के बीच में समान फासला होना चाहिए।

(iv) जब हर कक्षा तैयार हो जाए, तो कक्षा का नेता आगे बढ़कर स्कूल के चुने हुए छात्र–नेता का अभिवादन करेगा। जब सारी कक्षाएं तैयार हो जाएं तो स्कूल का छात्र–नेता प्रधानाध्यापक की ओर बढ़कर उनका अभिवादन करेगा। प्रधानाध्यापक अभिवादन का उत्तर देगा। इसके बाद झंडा फहराया जाएगा। इसमें स्कूल का छात्र–नेता सहायता कर सकता है।

(v) स्कूल का छात्र–नेता, जिसे परेड (या सभा) का भार सौंपा गया है, झंडा फहराने के ठीक पहले परेड को सावधान (अटेंशन) हो जाने की आज्ञा देगा और झंडे के लहराने पर परेड को झंडे को सलामी देने की आज्ञा देगा। परेड कुछ देर तक सलामी की अवस्था में रहेगी और फिर ''कमान'' आदेश पाने पर सावधान (अटेंशन) की अवस्था में आ जाएगी।

(vi) झंडे को सलामी देने के बाद राष्ट्रगान होगा। इस कार्यनक्रम के दौरान परेड सावधान (अटेंशन) की अवस्था में रहेगी।

(vii) शपथ लेने के सभी अवसरों पर शपथ राष्ट्र गान के बाद ली जाएगी। शपथ लेने के समय सभा सावधान (अटेंशन) की अवस्था में खड़ी रहेगी। प्रधानाध्यापक शपथ पढ़ेंगे और सभा उसको दोहराएगी।

(viii) स्कूलों में राष्ट्रीय झंडे के प्रति निष्ठा की शपथ लेते समय निम्नलिखित कार्यप्रणाली अपनाई जाएगी :–

सभी हाथ जोड़कर खड़े होंगे और निम्नलिखित शपथ दोहराएंगे :–

''मैं राष्ट्रीय झंडे और लोकतंत्रात्मक संपूर्ण प्रभुत्वसम्पन्न समाजवादी पंथ–निरपेक्ष गणराज्य की प्रति निष्ठा की शपथ लेता/लेती हूं, जिसका यह झंडा प्रतीक है।''

(xi) where the Flag is displayed in open, it should, as far as possible, be flown from sunrise to sunset, irrespective of weather conditions;

(xii) the Flag should not be displayed or fastened in any manner as may damage it; and

(xiii) when the Flag is in a damaged or soiled condition, it shall be destroyed as a whole in private, preferably by burning or by any other method consistent with the dignity of the Flag.

SECTION II

2.3 The National Flag may be hoisted in educational institutions (schools, colleges, sports camps, scout camps, etc.) to inspire respect for the Flag. A model set of instructions for guidance is given below -

(i) The School will assemble in open square formation with pupils forming the three sides and the Flag-staff at the centre of the fourth side. The Headmaster, the pupil leader and the person unfurling the Flag (if other than the Headmaster) will stand three paces behind the Flag-staff.

(ii) The pupils will fall according to classes and in squads of ten (or other number according to strength). These squads will be arranged one behind the other. The pupil leader of the class will stand to the right of the first row of his class and the form master will stand three paces behind the last row of his class, towards the middle. The classes will be arranged along the square in the order of seniority with the seniormost class at the right end.

(iii) The distance between each row should be at least one pace (30 inches); and the space between Form and Form should be the same.

(iv) When each Form or Class is ready, the Class leader will step forward and salute the selected school pupil leader. As soon as all the Forms are ready, the school pupil leader will step up to the Headmaster and salute him. The Headmaster will return the salute. Then, the Flag will be unfurled. The School pupil leader may assist.

(v) The School pupil leader in charges of the parade (or assembly) will call the parade to attention, just before the unfurling, and he will call them to the salute when the Flag flies out. The parade will keep at the salute for a brief interval, and then on the command "order", the parade will come to the attention position.

(vi) The Flag Salutation will be followed by the National Anthem. The parade will be kept at the attention during this part of the function.

(vii) On all occasions when the pledge is taken, the pledge will follow the National Anthem. When taking the pledge the Assembly will stand to attention and the Headmaster will administer the pledge ceremoniously and the Assembly will repeat it after him.

(viii) In pledging allegiance to the National Flag, the practice to be adopted in Schools is as follows:-

Standing with folded hands, all repeat together the following pledge:

"I pledge allegiance to the National Flag and to the Sovereign Socialist Secular Democratic Republic for which it stands."

भाग–III

केन्द्रीय एवं राज्य सरकारों तथा उनके संगठनों और एजेंसियों द्वारा राष्ट्रीय झंडे का फहराया जाना/प्रदर्शन

धारा I

रक्षा प्रतिष्ठानों द्वारा तथा दूतावासों/कार्यालयों के प्रमुखों द्वारा झंडा फहराया जाना

3.1 राष्ट्रीय झंडा फहराने के लिए जिन रक्षा प्रतिष्ठानों के अपने नियम हैं, उन पर इस भाग में की गयी व्यवस्था लागू नहीं होंगी।

3.2 राष्ट्रीय झंडा विदेश स्थित उन दूतावासों/कार्यालयों के मुख्यालयों और उनके प्रमुखों के आवासों पर भी फहराया जा सकता है, जहां राजनयिक और कोंसुलर प्रतिनिधियों के लिए अपने मुख्यालयों तथा सरकारी आवासों पर अपने राष्ट्रीय झंडें का फहराए जाने का प्रचलन है।

धारा II

झंडे का सरकारी तौर पर फहराया जाना

3.3 उपर्युक्त धारा 1 में उल्लिखित व्यवस्था के अध्यधीन सभी सरकारों तथा उनके संगठनों/एजेंसियों के लिए इस भाग में की गई व्यवस्था का पालन करना अनिवार्य होगा।

3.4 सरकारी तौर पर झंडा फहराये जाने के सभी अवसरों पर केवल उसी झंडे का प्रयोग किया जाएगा जो भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप हो और जिस पर ब्यूरो का मानक चिह्न लगा हो। दूसरे अवसरों पर भी समुचित आकार के ऐसे ही झंडे फहराना वांछनीय होगा।

धारा III

झंडा फहराने का सही तरीका

3.5 जब भी झंडा फहराया जाए तो उसे सम्मानपूर्ण स्थान दिया जाना चाहिए और उसे ऐसी जगह पर लगाना चाहिए, जहां वह स्पष्ट रूप से दिखाई दे।

3.6 यदि किसी सरकारी भवन पर झंडा फहराने का प्रचलन है तो उस भवन पर हर रविवार और छुट्टियों में भी सभी दिन फहराया जाएगा और, इस संहिता में की गई व्यवस्था के अतिरिक्त इसे सूर्योदय से सूर्यास्त तक फहराया जाएगा, चाहे मौसम कैसा भी क्यों न हो। ऐसे भवन पर रात को भी झंडा फहराया जा सकता है किन्तु ऐसा केवल विशेष अवसरों पर ही किया जाना चाहिए।

3.7 झंडे को सदा स्फूर्ति से फहराया जाए, और धीरे–धीरे एवं आदर के साथ उतारा जाए। जब झंडे को फहराते समय और उतारते सयम बिगुल बजाया जाता है तो इस बात का ध्यान रखा जाए कि झंडे को बिगुल की आवाज के साथ ही फहराया जाए, और उतारा जाए।

3.8 जब झंडा किसी भवन की खिड़की, बालकनी या अगले हिस्से से आड़ा या तिरछा फहराया जाए तो झंडे की केसरी पट्टी सबसे दूर वाले सिरे पर होगी।

3.9 जब झंडे का प्रदर्शन किसी दीवार के सहारे आड़ा और चौड़ाई में किया जाता है तो केसरी पट्टी सबसे ऊपर रहेगी और जब वह लम्बाई में फहराया जाए, तो केसरी पट्टी झंडे के हिसाब से दाईं ओर होगी अर्थात् वह झंडे को सामने से देखने वाले व्यक्ति के बाईं ओर होगी।

3.10 यदि झंडे का प्रदर्शन सभा मंच पर किया जाता हे तो उसे इस प्रकार फहराया जाएगा कि जब वक्ता का मुँह श्रोताओं की ओर हो तो झंडा उनके दाहिने ओर रहे; अथवा झंडे को दीवार के साथ वक्ता के पीछे और उससे ऊपर आड़ा फहराया जाए।

3.11 किसी प्रतीमा के अनावरण के अवसर पर झंडे को सम्मान के साथ और पृथक रूप से प्रदर्शित किया जाए।

3.12 जब झंडा किसी मोटर कार पर लगाया जाता है तो उसे बोनट के आगे बीचोंबीच या कार के आगे दाईं ओर कसकर लगाये हुए एक डंडे (स्टाफ) पर फहराया जाए।

PART-III

HOISTING/DISPLAY OF THE NATIONAL FLAG BY THE CENTRAL AND STATE GOVERNMENTS AND THEIR ORGANISATIONS AND AGENCIES.

SECTION I

DEFENCE INSTALLATIONS/HEADS OF MISSIONS/POSTS

3.1 The provisions of this Part shall not apply to Defence Installations that have their own rule for display of the National Flag.

3.2 The National Flag may also be flown on the Headquarters and the residences of the Heads of Missions/Posts abroad in the countries where it is customary for diplomatic and consular representatives to fly their National Flags on the Headquarters and their official residences.

SECTION II

OFFICIAL DISPLAY

3.3 Subject to the provisions contained in Section I above, it shall be mandatory for all Governments and their organisations/agencies to follow the provisions contained in this Part.

3.4 On all occasions for official display, only the Flag conforming to specifications laid down by the Bureau of Indian Standards, and bearing their standard mark shall be used. On other occasions also, it is desirable that only such Flags of appropriate size are flown.

SECTION III

CORRECT DISPLAY

3.5 Wherever the Flag is flown, it should occupy the position of honour and be distinctly placed.

3.6 Where the practice is to fly the Flag on any public building, it shall be flown on that building on all days including Sundays and holidays and, except as provided in this Code, it shall be flown from sun-rise to sun-set irrespective of weather conditions. The Flag may be flown on such a building at night also but this should be only on very special occasions.

3.7 The Flag shall always be hoisted briskly and lowered slowly and ceremoniously. When the hoisting and the lowering of the Flag is accompanied by appropriate bugle calls, the hoisting and lowering should be simultaneous with the bugle calls.

3.8 When the Flag is displayed from a staff projecting horizontally or at an angle from a windowsill, balcony, or front of a building, the saffron band shall be at the farther end of the staff.

3.9 When the Flag is displayed flat and horizontal on a wall, the saffron band shall be upper most and when displayed vertically, the saffron band shall be to the right with reference to the Flag, i.e., it may be to the left of a person facing it.

3.10 When the Flag is on a speaker's platform, it shall be flown on a staff on the speaker's right as he faces the audience or flat against the wall above and behind the speaker.

3.11 When used on occasions like the unveiling of a statue, the Flag shall be displayed distinctly and separately.

3.12 When the Flag is displayed alone on a motor car, it shall be flown from a staff, which should be affixed firmly either on the middle front of the bonnet or to the front right side of the car.

3.13 जब झंडा किसी जुलूस या परेड में ले जाया जा रहा हो तो वह मार्च करने वालों के दाई ओर अर्थात् झंडे के भी दाहिनी ओर रहेगा या यदि दूसरे झंडों की भी कोई लाइन हो तो राष्ट्रीय झंडा उस लाइन के मध्य में आगे होगा।

धारा IV

झंडा फहराने के गलत तरीके

3.14 फटा या मैला कुचैला झंडा नहीं फहराया जाएगा।

3.15 किसी व्यक्ति या वस्तु को सलामी देने के लिए झंडे को झुकाया नहीं जाएगा।

3.16 किसी दूसरे झंडे या पताका को राष्ट्रीय झंडे से ऊंचा या ऊपर नहीं लगाया जाएगा, और आगे बताई गई व्यवस्था को छोड़कर, राष्ट्रीय झंडे के बराबर में भी नहीं रखा जाएगा; और न ही कोई दूसरी वस्तु उस ध्वज–दंड के ऊपर रखी जाएगी, जिस पर झंडा फहराया जाता है। इन वस्तुओं में फूल अथवा मालाएं अथवा प्रतीक भी शामिल है।

3.17 फूलों का गुच्छा या झंडियां या बन्दनवार बनाने या किसी दूसरे प्रकार की सजावट के लिए झंडे का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा।

3.18 झंडे का प्रयोग न तो वक्ता की मेज को ढकने के लिए और न ही वक्ता के मंच को सजाने के लिए किया जाएगा।

3.19 'केसरी' पट्टी को नीचे रखकर झंडा नहीं फहराया जाएगा।

3.20 झंडे को जमीन, या फर्श छूने या पानी में घसीटने नहीं दिया जाएगा।

3.21 झंडे का प्रदर्शन इस प्रकार बांधकर नहीं किया जाएगा, जिससे कि वह फट जाए।

धारा V

झंडे का दुरुपयोग

3.22 राजकीय/सैन्य/केन्द्रीय अर्द्ध सैनिक बलों से सम्बन्धित शवयात्राओं, जिनके सम्बन्ध में आगे व्यवस्था की गई है, को छोड़कर झंडे का प्रयोग किसी भी रूप में लपेटने के लिए नहीं किया जाएगा।

3.23 झंडे को वाहन, रेलगाड़ी अथवा नाव की टोपदार छत, बगल अथवा पिछले भाग को ढकने के काम में नहीं लाया जाएगा।

3.24 झंडे का प्रयोग इस प्रकार से नहीं किया जाएगा या उसे इस प्रकार नहीं रखा जाएगा कि वह फट जाए या मैला हो जाए।

3.25 जब झंडा फट जाए या मैला हो जाए, तो उसे फेंका नहीं जाएगा और न ही अनादरपूर्वक उसका निपटान किया जाएगा, बल्कि झंडे को एकांत में पूरा नष्ट कर देना चाहिए। बेहतर होगा यदि उसे जलाकर या उसकी मर्यादा के अनुकूल किसी दूसरे तरीके से नष्ट कर दिया जाए।

3.26 झंडे का प्रयोग किसी भवन में पर्दा लगाने के लिए नहीं किया जाएगा।

3.27 किसी प्रकार की पोशाक या वर्दी के भाग के रूप में झंडे का प्रयोग नहीं किया जाएगा। इसे गद्दियों, रूमालों, बक्सों अथवा नेपकीनों पर काढ़ा या छापा नहीं जाएगा।

3.28 झंडे पर किसी प्रकार के अक्षर नहीं लिखे जाएंगे।

3.29 किसी भी प्रकार के विज्ञापन के रूप में झंडे का प्रयोग नहीं किया जाएगा और न ही उस डंडे पर कोई विज्ञापन लगाया जाएगा जिस पर कि झंडा फहराया जा रहा हो।

3.30 झंडे को किसी वस्तु को प्राप्त करने, देने, पकड़ने या ले जाने वाले पात्र के रूप में प्रयोग नहीं किया जाएगा।

लेकिन विशेष अवसरों तथा गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस जैसे राष्ट्रीय दिवसों पर समारोह के एक अंग के रूप में झंडे को फहराए जाने से पूर्व उसमे फूलों की पंखुड़ियां रखे जाने में कोई आपत्ति नहीं होगी।

3.13 When the Flag is carried in a procession or a parade, it shall be either on the marching right, i.e., the Flag's own right, or if there is a line of other flags, in front of the centre of the line.

SECTION IV

INCORRECT DISPLAY

3.14 A damage or disheveled Flag shall not be displayed.

3.15 The Flag shall not be dipped in salute to any person or thing.

3.16 No other Flag or bunting shall be placed higher than or above or, except as hereinafter provided, side by side with the National Flag; nor shall any object including flowers or garlands or emblem be placed on or above the Flag-mast from which the Flag is flown.

3.17 The Flag shall not be used as a festoon, rosette or bunting or in any other manner for decoration.

3.18 The Flag shall not be used to cover a speaker's desk nor shall it be draped over a speaker's platform.

3.19 The Flag shall not be displayed with the "saffron" down.

3.20 The Flag shall not be allowed to touch the ground or the floor or trail in water.

3.21 The Flag shall not be displayed or fastened in any manner as may damage it.

SECTION V

MISUSE

3.22 The Flag shall not be used as a drapery in any form whatsoever except in State/Military/ Central Para military Forces funerals hereinafter provided.

3.23 The Flag shall not be draped over the hood, top, sides or back of a vehicle, train or boat.

3.24 The Flag shall not be used or stored in such a manner as may damage or soil it.

3.25 When the Flag is in a damaged or soiled condition, it shall not be cast aside or disrespectfully disposed of but shall be destroyed as a whole in private, preferably by burning or by any other method consistent with the dignity of the Flag.

3.26 The Flag shall not be used as a covering for a building.

3.27 The Flag shall not be used as a portion of a costume or uniform of any description. It shall not be embroidered or printed upon cushions, handkerchiefs, napkins or boxes.

3.28 Lettering of any kind shall not be put upon the Flag.

3.29 The Flag shall not be used in any form of advertisement nor shall an advertising sign be fastened to the pole from which the Flag is flown.

3.30 The Flag shall not be used as a receptacle for receiving, delivering, holding or carrying anything.

Provided that there shall be no objection to keeping flower petals inside the Flag before it is unfurled, as part of celebrations on special occasions and on National Days like the Republic Day and the Independence Day.

SECTION VI

SALUTE

3.31 During the ceremony of hoisting or lowering the Flag or when the Flag is passing in a parade or in a review, all persons present should face the Flag and stand at attention. Those present in uniform should render the appropriate salute. When the Flag is in a moving column, persons present will stand at attention or salute as the Flag passes them. A dignitary may take the salute without a head dress.

धारा VI
झंडे को सलामी

3.31 झंडे को फहराते समय या उतारते समय या झंडे को परेड में या किसी निरीक्षण के अवसर पर ले जाते समय वहां पर उपस्थित सभी लोग झंडे की ओर मुंह करके सावधान (अटैंशन) की अवस्था में खड़े होंगे। वर्दी पहने हुए व्यक्ति समुचित ढंग से सलामी देंगे। जब झंडा जा रही सैन्य टुकड़ी के साथ हो तो उपस्थित व्यक्ति सावधान खड़े होंगे या जब झंडा उनके पास से गुजरे तो वे उसको सलामी देंगे। गणमान्य व्यक्ति सिर पर कोई वस्त्र पहने बिना भी सलामी ले सकते हैं।

धारा VII
राष्ट्रीय झंडे का दूसरे राष्ट्रों के झंडों तथा संयुक्त राष्ट्र संघ के झंडे के साथ फहराया जाना

3.32 जब राष्ट्रीय झंडा दूसरे राष्ट्रों के झंडों के साथ एक ही पंक्ति में फहराया जाए तो उसे सबसे दाईं ओर रखा जाएगा, अर्थात, यदि कोई पर्यवेक्षक झंडों की पंक्ति के बीच में श्रोताओं की ओर मुख करके खड़ा होता है तो राष्ट्रीय झंडा उसके सबसे दाईं ओर होगा। यह स्थिति नीचे क चित्र में स्पष्ट की गई है :–

3.33 राष्ट्रीय झंडे के बाद दूसरे राष्ट्रों के झंडे संबंधित राष्ट्रों के नामों के अंग्रेजी वर्णक्रम के अनुसार लगाए जाएंगे। ऐसे मामले में राष्ट्रीय झंडे को झंडों की पंक्ति के शुरू में, नाम के अंग्रेजी वर्णक्रम के अनुसार झंडों की पंक्ति के मध्य में और पंक्ति के अन्त में भी लगाया जा सकता है। राष्ट्रीय झंडा सबसे पहले फहराया जाएगा और सबसे बाद में उतारा जाएगा।

3.34 यदि झंडों को खुले गोलाकार में, अर्थात – अर्धगोलाकार में फहराया जाता है तो इस धारा के पिछले खंड में बताई गई कार्यविधि ही अपनाई जाएगी। यदि झंडे एक पूर्ण गोलाकार में फहराए जाते हैं तो आंरभ में राष्ट्रीय झंडा लगाया जाएगा और दूसरे राष्ट्रों के झंडे घड़ी की सुई के दिशाक्रम में इस प्रकार रखे जाएंगे कि अन्तिम झंडा राष्ट्रीय झंडे तक आ जाए। गोलाई का आरंभ और अन्त दर्शाने के लिए दूसरा राष्ट्रीय झंडा लगाने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे बन्द गोलाकार में वर्णक्रम के अनुसार अपने स्थान पर भी राष्ट्रीय झंडे को लगाया जाएगा।

SECTION VII

DISPLAY WITH FLAGS OF OTHER NATIONS AND OF UNITED NATIONS

3.32 When displayed in a straight line with flags of other countries, the National Flag shall be on the extreme right; i.e. if an observer were to stand in the centre of the row of the flags facing the audience, the National Flag should be to his extreme right. The position is illustrated in the diagram on page no. 14.

3.33 Flags of foreign countries shall proceed as from the National Flag in alphabetical order on the basis of English versions of the names of the countries concerned. It would be permissible in such a case to begin and also to end the row of flags with the National Flag and also to include National Flag in the normal countrywise alphabetical order. The National Flag shall be hoisted first and lowered last.

3.34 In case flags are to be flown in an open circle i.e., in an arc or a semi-circle, the same procedure shall be adopted as is indicated in the preceding clause of this Section. In case flags are to be flown in a closed, i.e., complete circle, the National Flag shall mark the beginning of the circle and the flags of other countries should proceed in a clockwise manner until the last flag is placed next to the National Flag. It is not necessary to use separate National Flags to mark the beginning and the end of the circle of flags. The National Flag shall also be included in its alphabetical order in such a closed circle.

3.35 When the National Flag is displayed against a wall with another flag from crossed staffs, the National Flag shall be on the right i.e. the Flag's own right, and its staff shall be in front of the staff of the other flag. The position is illustrated in the diagram below :-

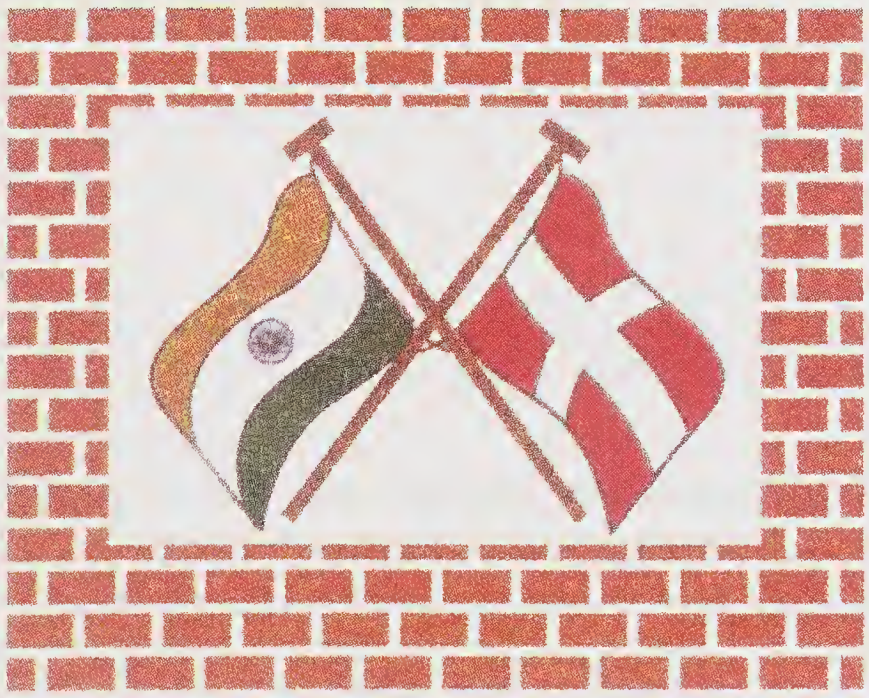

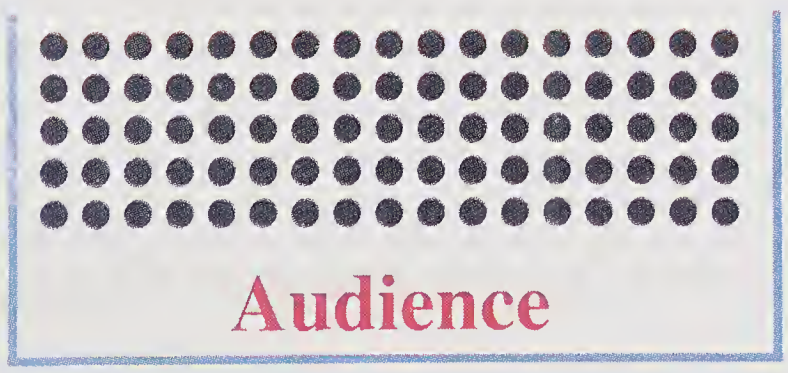

3.35 जब राष्ट्रीय झंडा और कोई दूसरा झंडा एक साथ किसी दीवार पर दो ऐसे डंडों पर फहराये जाएं, जो एक–दूसरे को क्रास करते हों, तो राष्ट्रीय झंडा दायीं ओर अर्थात झंडे की अपनी दाईं ओर होगा और उसका डंडा दूसरे डंडे के ऊपर रहेगा। यह स्थिति पृष्ठ सं० 15 के चित्र में स्पष्ट की गई है।

3.36 जब संयुक्त राष्ट्र संघ का झंडा राष्ट्रीय झंडे के साथ फहराया जाता है तो वह राष्ट्रीय झंडे के किसी भी ओर लगाया जा सकता है। सामान्यतः राष्ट्रीय झंडे को इस प्रकार फहराया जाता है कि वह अपने सामने वाली दिशा के हिसाब से अपने एकदम दाईं ओर होता है, (अर्थात् झंडा फहराने के समय झंडे की ओर मुख किए हुए व्यक्ति के एकदम बाईं ओर) यह स्थिति नीचे के चित्र में स्पष्ट की गई है :–

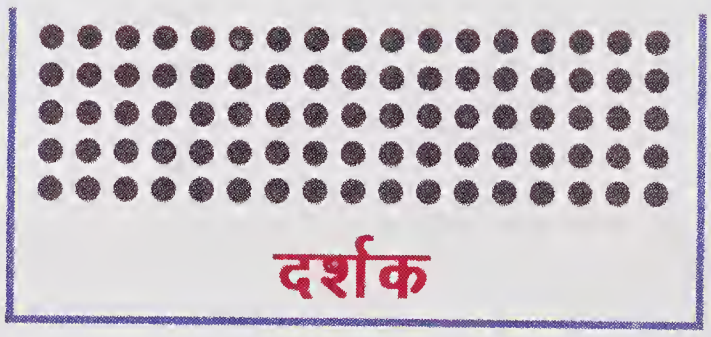

3.37 जब राष्ट्रीय झंडा दूसरे राष्ट्रों के साथ फहराया जाए तो सारे झंडो के ध्वज–दंड समान आकार के होंगे। अन्तर्राष्ट्रीय परम्परा के अनुसार शान्ति काल में किसी एक राष्ट्र के झंडे को दूसरे राष्ट्र के झंडे से ऊंचा नहीं फहराया जाता है।

3.38 राष्ट्रीय झंडा एक ही समय में किसी दूसरे झंडों के साथ एक ही ध्वज–दंड से नहीं फहराया जाएगा। अलग–अलग झंडों के लिए अलग–अलग ध्वज–दंड होंगे।

धारा VIII

सरकारी भवनों एवं आवासों पर राष्ट्रीय झंडा फहराया जाना

3.39 सामान्यतः उच्च न्यायालयों, सचिवालयों, कमिश्नरों के कार्यालयों, जिला कचहरियों, जेलों तथा जिला बोर्ड के कार्यालयों, नगर पालिकाओं, जिला परिषदों तथा विभागीय/सरकारी उपक्रमों के कार्यालयों जैसे महत्वपूर्ण सरकारी भवनों पर ही झंडा फहराया जाना चाहिए।

3.40 सीमावर्ती क्षेत्रों में सीमा–शुल्क चौकियों, जांच चौकियों (चेकपोस्ट), सीमा चौकियों (आउट पोस्ट) और अन्य ऐसी खास जगहों पर, जहां कि झंडा फहराने का विशेष महत्व है, राष्ट्रीय झंडा फहराया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, सीमावर्ती गश्ती दलों (बार्डर पेट्रोल) के शिविरों पर झंडा फहराया जा सकता है।

3.36 When the United Nation's Flag is flown along with the National Flag , it can be displayed on either side of the National Flag. The general practice is to fly the National Flag on the extreme right with reference to the direction which it is facing (i.e., extreme left of an observer facing the masts flying the Flags). The position is illustrated in the diagram on page no. 16.

3.37 When the National Flag is flown with flags of other countries, the flag masts shall be of equal size. International usage forbids the display of the flag of one nation above that of another in time of peace.

3.38 The National Flag shall not be flown from a single mast head simultaneously with any other flag or flags. There shall be separate mast-heads for different flags.

SECTION VIII

DISPLAY OVER PUBLIC BUILDINGS/OFFICIAL RESIDENCES

3.39 Normally the National Flag should be flown only on important public buildings such as High Courts, Secretariats, Commissioners' Offices, Collectorates, Jails and offices of the District Boards, Municipalities and Zilla Parishads and Departmental/Public Sector Undertakings.

3.40 In frontier areas, the National Flag may be flown on the border customs posts, check posts, out posts and at other special places where flying of the Flag has special significance. In addition, it may be flown on the camp sites of border patrols.

3.41 The National Flag should be flown on the official residences of the President, Vice-President, Governors and Lieutenant Governors when they are at Headquarters and on the building in which they stay during their visits to places outside the Headquarters. The Flag flown on the official residence should, however, be brought down as soon as the dignitary leaves the Headquarters and it should be re-hoisted on that building as he enters the main gate of the building on return to the Headquarters. When the dignitary is on a visit to a place outside the Headquarters, the Flag should be hoisted on the building in which he stays as he enters the main gate of that building and it should be brought down as soon as he leaves that place. However, the Flag should be flown from sun-rise to sun-set on such official residences, irrespective of whether the dignitary is at Headquarters or not on the - Republic Day, Independence Day, Mahatma Gandhi's Birthday, National Week (6th to 13th April, in the memory of martyrs of Jalianwala Bagh), any other particular day of national rejoicing as may be specified by the Government of India or, in the case of a State, on the anniversary of formation of that State.

3.42 When the President, the Vice-President or the Prime Minister visits an institution, the National Flag may be flown by the institution as a mark of respect.

3.43 On the occasions of the visit to India by foreign dignitaries, namely, President, Vice-President, Emperor/King or Heir Prince and the Prime Minister, the National Flag may be flown along with the Flag of the foreign country concerned in accordance with the rules contained in Section VII by such private institutions as are according reception to the visiting foreign dignitaries and on such public buildings as the foreign dignitaries intend to visit on the day of visit to the institution.

3.41 राष्ट्रपति, उप–राष्ट्रपति, राज्यपाल, उप–राज्यपाल, जब अपने मुख्यालय में हों, तो उनके सरकारी आवासों पर, और जब वे अपने मुख्यालयों से बाहर दौरे पर हों, तो जिन भवनों में वे निवास करें, उन पर राष्ट्रीय झंडा फहराया जाना चाहिए। लेकिन, सरकारी आवास पर फहराया गया राष्ट्रीय झंडा गणमान्य व्यक्ति के मुख्यालय से बाहर जाते ही उतार दिया जाना चाहिए और वापस मुख्यालय आने पर उक्त भवन के मुख्य द्वार से उनके प्रविष्ट होते ही राष्ट्रीय झंडा पुनः फहरा दिया जाना चाहिए। जब गणमान्य व्यक्ति मुख्यालय से बाहर किसी स्थान के दौरे पर हों तो जिस भवन में वे निवास करें, उस भवन के मुख्य द्वार से उनके प्रवेश करते ही उस भवन पर राष्ट्रीय झंडा फहरा दिया जाना चाहिए और जब वे उस स्थान से बाहर जाएं तो राष्ट्रीय झंडा उतार दिया जाना चाहिए। तथापि, गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस, महात्मा गांधी जयंती, राष्ट्रीय सप्ताह (6 से 13 अप्रैल तक जलियांवाला बाग के शहीदों की स्मृति में), भारत सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट राष्ट्रीय उल्लास के किसी अन्य विशेष दिवस अथवा किसी राज्य के मामले में उस राज्य के गठन की वर्षगांठ के अवसर पर उक्त सरकारी आवासों पर राष्ट्रीय झंडा सूर्योदय से सूर्यास्त तक फहराया जाना चाहिए, चाहे गणमान्य व्यक्ति उन दिनों मुख्यालय में उपस्थित हों या न हों।

3.42 जब राष्ट्रपति, उप–राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री किसी संस्था का दौरा करते है तो उस संस्था द्वारा उनके सम्मान में राष्ट्रीय झंडा फहराया जा सकता है।

3.43 जब विदेश का कोई गणमान्य व्यक्ति, अर्थात् – राष्ट्रपति, उप–राष्ट्रपति, सम्राट, उत्तराधिकारी युवराज या प्रधानमंत्री भारत का दौरा कर रहे हों और उस दौरान कोई संस्था उनके लिए स्वागत समारोह का आयोजन करती है तो उस संस्था द्वारा धारा VII में उल्लिखित नियमों के अनुसार राष्ट्रीय झंडा और संबंधित देश का राष्ट्रीय झंडा साथ–साथ फहराये जाएं। यदि वह गणमान्य व्यक्ति उसी दिन किसी सरकारी भवन का भी दौरा करना चाहें जिस दिन वह उक्त संस्था में आए हों तो उन सरकारी भवनों पर भी धारा VII में उल्लिखित नियमों के अनुसार ही राष्ट्रीय झंडा और संबंधित देश का झंडा साथ–साथ फहराए जाएं।

धारा IX

मोटर कारों पर राष्ट्रीय झंडा लगाया जाना

3.44 मोटर–कारों पर राष्ट्रीय झंडा लगाने का विशेषाधिकर केवल निम्नलिखित गणमान्य व्यक्तियों को ही है:–

(1) राष्ट्रपति;

(2) उप–राष्ट्रपति;

(3) राज्यपाल और उप–राज्यपाल;

(4) विदेशों में नियुक्त भारतीय दूतावासों एवं कार्यालयों के अध्यक्ष;

(5) प्रधान मंत्री और केबिनट मंत्री;
केन्द्र के राज्यमंत्री और उपमंत्री;
राज्यों अथवा संघ शासित क्षेत्रों के मुख्यमंत्री और अन्य केबिनेट मंत्री;
राज्यों अथवा संघ शासित क्षेत्रों के राज्य मंत्री और उप मंत्री;

(6) लोक सभा के अध्यक्ष;
राज्य सभा के उप सभापति;
लोक सभा के उपाध्यक्ष;
राज्य विधान परिषदों के सभापति;
राज्य और संघ शासित क्षेत्रों की विधान सभाओं के अध्यक्ष;
राज्य विधान परिषदों के उप सभापति;
राज्य और संघ शासित क्षेत्रों की विधान सभाओं के उपाध्यक्ष;

(7) भारत के मुख्य न्यायाधीश;
उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश;
उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश;
उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश।

SECTION IX

DISPLAY ON MOTOR CARS

3.44 The privilege of flying the National Flag on motor cars is limited to the :-

(1) President;

(2) Vice-President;

(3) Governors and Lieutenant Governors;

(4) Heads of Indian Missions/Posts abroad in the countries to which they are accredited;

(5) Prime Minister and other Cabinet Ministers;
Ministers of State and Deputy Ministers of the Union;
Chief Minister and other Cabinet Ministers of a State or Union Territory;
Ministers of State and Deputy Ministers of a State or Union Territory;

(6) Speaker of the Lok Sabha;
Deputy Chairman of the Rajya Sabha;
Deputy Speaker of the Lok Sabha;
Chairmen of Legislative Councils in States
Speakers of Legislative Assemblies in States and Union territories.
Deputy Chairmen of Legislative Councils in States;
Deputy Speakers of Legislative Assemblies in States and Union territories;

(7) Chief Justice of India;
Judges of Supreme Court;
Chief Justice of High Courts;
Judges of High Courts.

3.45 The dignitaries mentioned in Clauses (5) to (7) of paragraph 3.44 may fly the National Flag on their cars, whenever they consider it necessary or advisable.

3.46 When a foreign dignitary travels in a car provided by Government, the National Flag will be flown on the right side of the car and the Flag of the foreign countries will be flown on the left side of the car.

SECTION X

DISPLAY ON TRAINS/AIRCRAFTS

3.47 When the President travels by special train within the country, the National Flag should be flown from the driver's cab on the side facing the platform of the station from where the train departs. The Flag should be flown only when the special train is stationary or when coming into the station where it is going to halt.

3.48 The National Flag will be flown on the aircraft carrying the President, the Vice-President or the Prime Minister on a visit to a foreign country. Alongside the National Flag , the Flag of the country visited should also be flown but, when the aircraft lands in countries enroute, the National Flag of the countries touched would be flown instead, as a gesture of courtesy and goodwill.

3.49 When the President goes on tour within India, the National Flag will be displayed on the side by which the President will embark the aircraft or disembark from it.

3.45 पैरा 3.44 के खंड (5) से (7) तक में उल्लिखित गणमान्य व्यक्ति, जब कभी आवश्यक या उचित समझें, अपनी कारों पर राष्ट्रीय झंडा लगा सकते हैं।

3.46 जब कोई विदेशी गणमान्य व्यक्ति सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई कार में यात्रा करें, तो राष्ट्रीय झंडा कार के दाईं ओर लगाया जाएगा और संबंधित देश का झंडा कार के बाईं ओर लगाया जाएगा।

धारा X

रेल गाड़ियों और वायुयानों पर राष्ट्रीय झंडा लगाया जाना

3.47 जब राष्ट्रपति देश में ही विशेष रेलगाड़ी से यात्रा करते हैं तो जिस स्टेशन से गाड़ी रवाना होती है वहां ड्राईवर की कैबिन पर प्लेटफार्म की ओर राष्ट्रीय झंडा तब तक लगाया जाए तब तक गाड़ी वहां खड़ी रहती है। राष्ट्रीय झंडा केवल तभी लगाया जाए जब उक्त विशेष रेलगाड़ी किसी स्टेशन पर खड़ी हो या गन्तव्य स्टेशन पर पहुंच गई हो।

3.48 राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या प्रधान मंत्री के विदेश यात्रा करते समय उस विमान पर राष्ट्रीय झंडा लगाया जाएगा, जिसमें वे यात्रा कर रहे हों। जिस देश की यात्रा की जा रही है, उसका झंडा भी राष्ट्रीय झंडे के साथ--साथ लगाया जाना चाहिए, परन्तु मार्ग में जिन–जिन देशों में विमान उतरे तो शिष्टाचार और सद्भावना के नाते उस झंडे के स्थान पर संबंधित देशों के राष्ट्रीय झंडे लगाए जाएं।

3.49 राष्ट्रपति देश में ही कहीं दौरे पर जाएं तो राष्ट्रीय झंडा वायुयान के उस ओर लगाया जाए, जिस ओर राष्ट्रपति विमान में चढ़े या उससे उतरें।

धारा XI

झंडे को आधा झुकाना

3.50 निम्नलिखित गणमान्य व्यक्तियों में से किसी का निधन होने पर प्रत्येक पदनाम् के सामने उल्लिखित स्थानों पर निधन के दिन राष्ट्रीय झंडा आधा झुका दिया जाएगाः

गणमान्य व्यक्ति	स्थान
राष्ट्रपति उप–राष्ट्रपति प्रधान मंत्री	समस्त भारत
लोक सभा के अध्यक्ष भारत के मुख्य न्यायाधीश	दिल्ली
केन्द्रीय केबिनेट मंत्री	दिल्ली और राज्यों की राजधानियां
केन्द्र के राज्य मंत्री और उप मंत्री	दिल्ली
राज्यपाल उप--राज्यपाल राज्य का मुख्य मंत्री संघ शासित क्षेत्र का मुख्यमंत्री	संबंधित समस्त राज्य या संघ शसित क्षेत्र
राज्य का केबिनेट मंत्री	संबंधित राज्य की राजधानी

3.51 यदि किसी गणमान्य व्यक्ति के निधन की सूचना अपराह्न में प्राप्त होती है तो ऊपर बताए गए स्थान या स्थानों पर अगले दिन भी झंडा आधा झुका दिया जाएगा, बशर्ते कि उक्त दिन सूर्योदय से पूर्व अंत्येष्टि न हुई हो।

3.52 ऊपर उल्लिखित गणमान्य व्यक्ति की अंत्योष्टि के दिन उस स्थान पर झंडा आधा झुका दिया जाएगा, जहां अंत्येष्टि की जानी है।

SECTION XI

HALF-MASTING

3.50 In the event of the death of the following dignitaries, the National Flag shall be half-masted at the places indicated against each on the day of the death of the dignitary :-

Dignitary	Place or places
President Vice-President Prime Minister	Throughout India
Speaker of the Lok Sabha Chief Justice of India	Delhi
Union Cabinet Minister	Delhi and State Capitals
Minister of State or Deputy Minister of the Union	Delhi
Governor Lt. Governor Chief Minister of State Chief Minister of a Union territory	Throughout the State or Union territory concerned.
Cabinet Minister in a State	Capital of the State concerned.

3.51 If the intimation of the death of any dignitary is received in the afternoon, the Flag shall be half-masted on the following day also at the place or places indicated above, provided the funeral has not taken place before sun-rise on that day.

3.52 On the day of the funeral of a dignitary mentioned above, the Flag shall be half-masted at the place where the funeral takes place.

3.53 If State mourning is to be observed on the death of any dignitary, the Flag shall be half-masted throughout the period of the mourning throughout India in the case of the Union dignitaries and throughout the State or Union territory concerned in the case of a State or Union territory dignitary.

3.54 Half-masting of the Flag and, where necessary, observance of State mourning on the death of foreign dignitaries will be governed by special instructions which will issue from the Ministry of Home Affairs in individual cases.

3.55 Notwithstanding the above provisions, in the event of a half-mast day coinciding with the Republic Day, Independence Day, Mahatma Gandhi's Birthday, National Week (6th to 13th April, in the memory of martyrs of Jalianwala Bagh), any other particular day of national rejoicing as may be specified by the Government of India or, in the case of a State, on the anniversary of formation of that State, the Flags shall not be flown at halfmast except over the building where the body of the deceased is lying until such time it has been removed and that Flag shall be raised to the full-mast position after the body has been removed.

3.56 If mourning were to be observed in a parade or procession where a Flag is carried, two streamers of black crepe shall be attached to the spear head, allowing the streamers to fall naturally. The use of black crepe in such a manner shall be only by an order of the Government.

3.53 यदि किसी गणमान्य व्यक्ति के निधन पर राजकीय शोक मनाया जाता है तो केन्द्रीय गणमान्य व्यक्ति के मामले में समस्त भारत में और किसी राज्य या संघ शासित क्षेत्र के गणमान्य व्यक्ति के मामले में संबंधित राज्य या पूरे संघ शासित क्षेत्र में शोकावधि के दौरान झंडा आधा झुका रहेगा।

3.54 किसी विदेशी गणमान्य व्यक्ति का निधन होने पर झंडे को आधा झुकाये जाने और, जहां आवश्यक हो, राजकीय शोक मनाये जाने के संबंध में ऐसे विशेष अनुदेश लागू होंगे, जो कि अलग–अलग मामलों में गृह मंत्रालय द्वारा जारी किये जाएंगे।

3.55 ऊपर बताई गई व्यवस्थाओं के बावजूद, यदि झंडे को आधा झुकाने का दिन और गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस, महात्मा गांधी जयंती, राष्ट्रीय उल्लास का कोई अन्य विशेष दिवस अथवा किसी राज्य के मामले में उस राज्य के गठन की वर्षगांठ का दिन एक साथ पड़ते है, तो उस भवन को छोड़कर जहां दिवंतग व्यक्ति का पार्थिव शरीर रखा है, अन्य स्थानों पर झंडा नहीं झुकाया जाएगा और उस भवन में भी, जहां दिवंगत व्यक्ति का पार्थिव शरीर रखा गया है, उस समय तक ही झंडा झुका रहेगा जब तक कि दिवंगत व्यक्ति का पार्थिव शरीर वहां से उठाया नहीं जाता और दिवंगत व्यक्ति का पार्थिव शरीर उठाये जाने के बाद उस भवन पर भी झंडा पूरी तरह फहरा दिया जाएगा।

3.56 यदि झंडा ले जा रही परेड या जुलूस के रूप मे शोक मनाया जाता है तो आगे काले कपड़े (क्रेप) की दो पट्टियां लगा दी जाएंगी जो कि स्वाभावित रूप से लटकी रहेंगी। इस प्रकार से काले कपड़े (क्रेप) का प्रयोग सरकार के आदेश से ही किया जा सकेगा।

3.57 जब झंडा झुकाया जाना हो तो उसे पहले एक बार पूरी ऊंचाई तक फहराया जाए और फिर उसे झुकी हुई स्थिति में उतारा जाए, किन्तु दिन–भर के बाद शाम को झंडा उतारने से पूर्व उसे एक बार फिर पूरी ऊंचाई तक उठाया जाए।

टिप्पणी : झंडा आधा झुकाए जाने (हाफ–मास्ट) से तात्पर्य है, झंडे को चोटी तथा 'गाई लाईन' के बीच आधे तक नीचे लाया जाना और 'गाई लाईन' न होने की अवस्था में झंडे को डंडे (स्टाफ) के आधे हिस्से तक झुकाया जाना।

3.58 राजकीय/सैनिक/केन्द्रीय अर्द्ध सैनिक बलों के सम्मान से युक्त अंत्येष्टि के अवसरों पर शवपेटिका या अर्थी झंडे का केसरिया भाग अर्थी या शवपेटिका के अग्रभाग की ओर रहेगा। झंडे को कब्र में दफनाया या चिता में जलाया नहीं जाएगा।

3.59 किसी दूसरे देश के राष्ट्राध्यक्ष का निधन हो जाने पर उस देश में प्रत्यायित भारतीय दूतावास अपने राष्ट्रीय झंडे को झुका सकता है, चाहे वह घटना गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस, महात्मा गांधी जयंती, राष्ट्रीय सप्ताह (6 से 13 अप्रैल तक जलियांवाला बाग के शहीदों की स्मृति में) अथवा भारत सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट राष्ट्रीय उल्लास के किसी अन्य विशिष्ट दिन को ही हुई हो। उस देश के किसी अन्य गणमान्य व्यक्ति का निधन होने पर भारतीय दूतावास को झंडा नही झुकाना चाहिये, जब तक कि वहां की स्थानीय प्रथा या शिष्टाचार (जिसका पता, जहां–कहीं भी आवश्यक हो, राजनयिक कोर के अधिष्ठता–डीन आफ दि डिप्लोमेटिक कोर से लगाया जाना चाहिए) के अनुसार उस देश में विदेशी दूतावास के राष्ट्रीय झंडे को भी झुकाना अपेक्षित न हो।

---

*स्रोत : भारतीय झंडा संहिता, 2002, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।

3.57 When flown at half-mast, the Flag shall be hoisted to the peak for an instant, then lowered to the half-mast position but before lowering the Flag for the day, it shall be raised again to the peak.

Note : - By half-mast is meant hauling down the Flag to one half the distance between the top and the guy-line and in the absence of the guy-line, half of the staff.

3.58 On occasions of State/Military/Central Para-Military Forces funerals, the Flag shall be draped over the bier or coffin with the saffron towards the head of the bier or coffin. The Flag shall not be lowered into the grave or burnt in the pyre.

3.59 In the event of death of either the Head of the State or Head of the Government of a foreign country, the Indian Mission accredited to that country may fly the National Flag at half-mast even if that event falls on Republic Day, Independence Day, Mahatma Gandhi's Birthday, National Week (6th to 13th April, in the memory of martyrs of Jalianwala Bagh) or any other particular day of national rejoicing as may be specified by the Government of India. In the event of death of any other dignitary of that country, the National Flag should not be flown at half-mast by the Missions except when the local practice or protocol (which should be ascertained from the Dean of the Diplomatic Corps, where necessary) require that the National Flag of a Foreign Mission in that country should also be flown at half-mast.

**Source:* National Flag Code 2002, Ministry of Home Affairs, Govt. of India, New Delhi.

राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971

1971 की संख्या 69 (23 दिसम्बर, 1971)

(राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2003 द्वारा संशोधित)

2005 की संख्या 51 (20 दिसम्बर, 2005)

राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण के लिए एक अधिनियम

इसे संसद द्वारा भारतीय गणतंत्र के बाइसवें वर्ष में निम्न प्रकार से अधिनियमित किया जाएः—

1. संक्षिप्त शीर्षक और विस्तार

(1) यह अधिनियम राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971 कहलाएगा।
(2) इसका विस्तार संपूर्ण भारत भर होगा।

2. भारतीय राष्ट्रीय झंडे तथा भारतीय संविधन का अपमान

कोई भी व्यक्ति जो किसी सार्वजनिक स्थान पर या किसी भी ऐसे स्थान पर सार्वजनिक रूप से भारतीय राष्ट्रीय झंडे या भारत के संविधान या उसके किसी भाग को जलाता है, विरूपित करता है, दूषित करता है, कुरूपित करता है, नष्ट करता है, कुचलता है या अन्यथा उसके प्रति अनादर प्रकट करता है या (मौखिक या लिखित शब्दों में, या कृत्यों द्वारा) अपमान करता है तो उसे तीन वर्ष तक के कारावास से, या जुर्माने से, या दोनों से दंडित किया जाएगा।

स्पष्टीकरण 1— भारत के संविधन में संशोध्न करने या विध्सिम्मत तरीके से भारतीय राष्ट्रीय झंडे में परिवर्तन करने की दृष्टि से सरकार के किसी उपाय की आलोचना या अस्वीकृति व्यक्त करते हुए की गई कोई टिप्पणी इस धारा के अंतर्गत अपराध नहीं बनती।

स्पष्टीकरण 2— 'भारतीय राष्ट्रीय झंडे' की अभिव्यक्ति में कोई भी तस्वीर, पेंटिंग, ड्रांइग या फोटोग्राफ या भारतीय राष्ट्रीय झंडे या उसके किसी भाग या भागों का अन्य स्पष्ट चित्रण जो किसी पदार्थ से बना हो या पदार्थ पर दर्शाया गया हो, शामिल है।

स्पष्टीकरण 3— 'सार्वजनिक स्थान' की अभिव्यक्ति के अर्थ में ऐसा कोई स्थान जो जनता द्वारा उपयोग के लिए हो अथवा जहां जनता की पहुंच हो और इसमें कोई भी सार्वजनिक वाहन शामिल है।

*स्पष्टीकरण 4— भारतीय राष्ट्रीय झंडे के अपमान का अर्थ निम्नलिखित होगा इसमें निम्नलिखित शामिल होंगे।

(क) भारतीय राष्ट्रीय झंडे का घोर अपमान या अनादर करनाऋ या
(ख) किसी व्यक्ति या वस्तु को सलामी देने के लिए भारतीय राष्ट्रीय झंडे को झुकाना; या
(ग) सरकार द्वारा जारी अनुदेशों के अनुसार जिन अवसरों पर सरकारी भवनों पर भारतीय राष्ट्रीय झंडे को आध झुकाकर पफहराया जाना हो, उन अवसरों के सिवाय झंडे को आध झुकाकर फहराना; या

THE PREVENTION OF INSULTS TO NATIONAL HONOUR ACT, 1971

No. 69 of 1971 (23rd December, 1971)

(Amended by the Prevention of insults to National Honour (Amendment) Act 2005)

No. 51 of 2005 (20th December, 2005)

An Act to Prevent Insults to National Honour

Be it enacted by Parliament in the Twenty-second year of the Republic of India as follows :-

1. SHORT TITLE AND EXTENT

(1) This Act may be called the Prevention of Insults to National Honour Act, 1971.
(2) It extends to the whole of India.

2. INSULT TO INDIAN NATIONAL FLAG AND CONSTITUTION OF INDIA

Whoever in any public place or in any other place within public view burns, mutilates, defaces, defiles, disfigures, destroys, tramples upon or "otherwise shows disrespect to or brings into contempt (whether by words, either spoken or written, or by acts) the Indian National Flag or the Constitution of India or any part thereof, shall be punished with imprisonment for a term which may extend to three years, or with fine, or with both.

Explanation 1 – Comments expressing disapprobation or criticism of the Constitution or of the Indian National Flag or of any measures of the Government with a view to obtain an amendment of the Constitution of India or an alteration of the Indian National Flag by lawful means do not constitute an offence under this section.

Explanation 2 – The expression, "Indian National Flag" includes any picture, painting, drawing or photograph, or other visible representation of the Indian National Flag, or of any part or parts thereof, made of any substance or represented on any substance.

Explanation 3 – The expression "public place: means any place intended for use by, or accessible to, the public and includes any public conveyance.

*"Explanation 4 – The disrespect to the Indian National Flag means and includes-

(a) a gross affront or indignity offered to the Indian National Flag; or
(b) dipping the Indian National Flag in salute to any person or thing: or
(c) flying the Indian National Flag at half-mast except on occasions on which the Flag is flown at half-mast on public buildings in accordance with the instructions issued by the Government; or
(d) using the Indian National Flag as a drapery in any form whatsoever except in state funerals or armed forces or other para-military forces funerals; or

(घ) राजकीय अंत्येष्टियों या सशस्त्र सैन्य बलों या अन्य अर्धसैनिक बलों की अंत्येष्टियों को छोड़कर झंडे का किसी अन्य रूप में लपेटने के लिए प्रयोग करना; या

(ङ) #भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का,

(1) किसी भी प्रकार की ऐसी वेषभूषा, वर्दी या उपसाधन के, जो किसी व्यक्ति की कमर से नीचे पहना जाता है, किसी भाग के रूप में, या

(2) कुशनों, रूमालों नैपकिनों, अधेवस्त्राों या किसी पोशाक सामग्री पर कशीदाकारी या छपाई करके, उपयोग करना; या

(च) भारतीय राष्ट्रीय झंडे पर किसी प्रकार का उत्कीर्णन करना; या

(छ) गणतंत्रा दिवस या स्वंतत्रता दिवस सहित विशेष अवसरों पर समारोह के एक अंग के रूप में भारतीय राष्ट्रीय झंडे को फहराए जाने से पूर्व उसमें पूफलों की पंखुड़ियां रखे जाने के सिवाय भारतीय राष्ट्रीय झंडे को किसी वस्तु को प्राप्त करने, देने या ले जाने वाले पात्रा के रूप में प्रयोग करना; या

(ज) किसी प्रतिमा या स्मारक या वक्ता की मेज़ या वक्ता के मंच को ढकने के लिए भारतीय राष्ट्रीय झंडे का प्रयोग करना; या

(झ) जानबूझकर भारतीय राष्ट्रीय झंडे को जमीन या फर्श से छूने देना या पानी पर घसीटने देना; या

(ञ) भारतीय राष्ट्रीय झंडे को किसी वाहन, रेलगाड़ी, नाव या किसी वायुयान या ऐसी किसी अन्य वस्तु के हुड, टाप और बगल या पिछले भाग पर लपेटना, या

(ट) भारतीय राष्ट्रीय झंडे को किसी भवन में पर्दा लगाने के लिए प्रयोग करना; या

(ठ) जानबूझकर 'केसरी' पट्टी को नीचे रखकर भारतीय राष्ट्रीय झंडे को फहराना।

3. राष्ट्रीय गान के गायन को रोकना

जो किसी व्यक्ति जानबूझकर भारतीय राष्ट्रीय गान को गाए जाने से रोकता है या ऐसी गायन कर रही किसी सभा में व्यवधान पैदान करता है उसे तीन वर्ष तक के कारावास, या जुर्माने, या दोनों से दंडित किया जाएगा।

***3क. दूसरी बार के या बाद के अपराध के लिए न्यूनतम दंड**

जो कोई व्यक्ति, जिसे धारा 2 या धरा 3 के अंतर्गत किसी अपराध के लिए पहने ही दोषसिद्ध ठहराया गया हो, ऐसे किसी अपराध के लिए फिर से दोषसिद्ध ठहराया जाता है तो उसे दूसरी बार के या उसके बाद के हर बार के अपराध के लिए कम से कम एक वर्ष के कारावास से दंडित किया जा सकेगा।

नोट 1 *राष्ट्रीय गौरव निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2003 (2003 की संख्या 31, दिनांक 8.5.2003) के तहत जोड़ा गया।

नोट 2. #राष्ट्रीय गौरव निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2005 (2005 की संख्या 51, दिनांक 20.12.2005) के तहत जोड़ा गया।

पुनश्च : ''भारतीय झण्डा संहिता, 2002 तथा राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971 में अंतर्विष्ट उपबंधों का कड़ाई से अनुपालन के संबंध में परामर्श'' तथा ''सरकारी वेबसाइटों पर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को उचित रूप से प्रदर्शित किए जाने के सबंध में परामर्श'' में उद्धृत विस्तृत मार्गदर्शिकाओं के लिए कृपया गृह मंत्रालय, भारत सरकार की वेबसाइट : www.mha.nic.in का संदर्भ ग्रहण करें।

(e) #using the Indian National Flag:-

(i) as a portion of costume, uniform or accessory of any description which is worn below the waist of any person; or

(ii) by embroidering or printing it on cushions, handkerchiefs, napkins, undergarments or any dress material; or

(f) putting any kind of inscription upon the Indian National Flag; or

(g) using the Indian National Flag as a receptacle for receiving, delivering or carrying anything except flower petals before the Indian National Flag is unfurled as part of celebrations on special occasions including the Republic Day or the Independence Day; or

(h) using the Indian National Flag as covering for a salute or a monument or a speaker's desk or a speaker's platform; or

(i) allowing the Indian National Flag to touch the ground or the floor or trail in water intentionally; or

(j) draping the Indian National Flag over the hood, top, and sides or back or on a vehicle, train, boat or an aircraft or any other similar object; or

(k) using the Indian National Flag as a covering for a building; or

(l) intentionally displaying the Indian National Flag with the "saffron" down.

3. PREVENTION OF SINGING OF NATIONAL ANTHEM

Whoever intentionally prevents the singing of the Indian National Anthem or causes disturbances to any assembly engaged in such singing shall be punished with imprisonment for a term, which may extend to three years, or with fine, or with both.

*3A MINIMUM PENALTY ON SECOND OR SUBSEQUENT OFFENCE

Whoever having already been convicted of an offence under section 2 or section 3 is again convicted of any such offence shall be punishable for the second and for every subsequent offence, with imprisonment for a term, which shall not be less than one year.

Note 1: *Inserted vide The Prevention of Insults to National Honour (Amendment) Act, 2003 (No. 31 of 2003 dated 8.8.2003)

Note 2: #Inserted vide The Prevention of Insults to National Honour (Amendment) Act, 2005 (No. 51 of 2005 dated 20.12.2005)

P.S. Kindly refer to the website of Ministry of Home Affairs/*Grih Mantralaya* i.e. www.mha.nic.in for detailed guidelines mentioned in the "Advisory related to Strict compliance of the provisions contained in the Flag Code of India, 2002" and 'The Prevention of Insults to National Honour Act, 1971' and the "Advisory related to non proper display of the Indian National Flag on various official websites".

सांस्कृतिक स्रोत एवं प्रशिक्षण केन्द्र
Centre for Cultural Resources and Training
Ministry of Culture, Govt. of India
15A, Sector-7, Dwarka, New Delhi-110075, India
Phone : 25309300 (100 Lines) Fax : 91-11-25088637
email: dir.ccrt@nic.in, website : www.ccrtindia.gov.in